

2021
425

प्रपत्र-5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, वालोजरा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- श्री नरेश सोनी RAS
वादी
कासम खां पुंन पन्ने खां उनवान प्रतिवादी
जाहि देली (मुसलमान) निजसोल बनाम फरीद खां
दावा बाबत रहीलदार, पंचपहरा

मुकदमा नम्बर :-

निर्णय दिनांक :-

वादी की ओर से कासम खां की व प्रतिवादी की ओर से रहीलदार व
उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25-10-2021 को श्री नरेश सोनी (नाम पीठासीन अधिकारी).....
उपखण्ड अधिकारी, वालोजरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है औ
डिक्री दी जाती है कि वादी के वाद के रबीकार कर ग्राम जसोल
के खसरा नम्बर 1021 रकबा 6-11 बीला वाद उक्त प्रारम्भ में वादी के
नाम के खां पुंन पन्ने खां के स्थान पर कासम खां पुंन पन्ने खां
चोखिर किया जाता है। रहीलदार, पंचपहरा तदागुहार
वाजस्त के कर्त के डामसामक कर पालना प्रस्तुत करे।



खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 25-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई



प. जसोल 65

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,.....